

“मिशन वात्सल्य योजना” अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित बाल देख रेख संस्थानों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन:-

निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना का पत्रांक-365, दिनांक-02.03.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, जमुई के माध्यम से संचालित वृहद आश्रय गृह (बालगृह यूनिट-1 एवं बालगृह, यूनिट-2), नावाडीह सिलफरी, प्रखंड-चकाई में निम्नांकित पदों पर विनायमित से प्राप्त आवेदन एवं संविदा आधारित अर्थाई नियोजन हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(विज्ञापन सं० -01/2026)

Sl No	Name of Post	Description of Post	Min. & Max. Age Limit	Essential Qualification	Experience	Honorarium Per Month
1	Educator (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-02	UR Male 18-37 Years UR Female 18-40 Years EBC Male & Female 18-40 Years	10+2 with Diploma in elementary education (D.El.Ed.) or B.Ed. from recognized university	At least one year experience of teaching in a school or institution	10,000/-
2	Art & Craft cum Music Teacher (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-02	UR Male 18-37 Years UR Female 18-40 Years EBC Male & Female 18-40 Years	10+2 with Diploma/Degree in Art & Craft/Music from a recognized University	At least one year experience in a school or institution	10,000/-
3	PT instructor cum Yoga Trainer (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-02	UR Male 18-37 Years UR Female 18-40 Years EBC Male & Female 18-40 Years	10+2 with Diploma/Degree in Yoga/Sports/Athletics/Physical Education	At least one year experience in a school or institution	10,000/-
4	Cook	02 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-04	UR Male 18-37 Years UR Female 18-40 Years EBC Male & Female 18-40 Years SC Male & Female 18-42 Years	8 th Pass	At least one year experience in a school or institution	9,930/-
5	Helper-cum-night watchman	02 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-04	UR Male 18-37 Years UR Female 18-40 Years EBC Male & Female 18-40 Years SC Male & Female 18-42 Years	8 th Pass	कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं	7,944/-
6	Housekeeper (Sweeper)	01 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-02	UR Male 18-37 Years UR Female 18-40 Years EBC Male & Female 18-40 Years	8 th Pass	कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं	7,944/-

1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में सम्पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मूल उत्तीर्णा प्रमाण पत्र एवं संबंधित अंक पत्र सहित), फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण हेतु केवल बिहार के मूल निवासी के लिए), आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 15.06.2026 के शाम 05.00 बजे तक दिये गये ई-मेल adcprecruitment01@gmail.com पर भेज या सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय, जमुई, श्याम हाईट्स भवन के प्रथम तल पर के०के०एम० कॉलेज के निकट, जमुई, बिहार-811307 के पते पर डाक से भेज सकते हैं। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। एक अर्थाई के द्वारा एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन ही मान्य होंगे। आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को देय है। अर्थाई विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे तथा विज्ञापन संख्या एवं पद का उल्लेख करेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

1. आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में “वृहद आश्रय गृह (बालगृह यूनिट-1 एवं 2) में नियोजन हेतु आवेदन पत्र विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम” उल्लेख अवश्य करेंगे।
2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंतिम 06 माह का वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/वेतन विवरण प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग/मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध हो एवं प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापक, दिनांक के साथ निर्गत हो।
3. अर्थाई द्वारा सर्मापित सभी शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधित दस्तावेज जिसके आधार पर नियोजन किया जाना है उसका सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले कार्यालय से कराया जा सकता है।
4. नियोजन से पूर्व अथवा बाद में जब कभी भी ज्ञात हो, सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए अर्थाई के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुरंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी साथ ही प्रमाण-पत्र निर्गत करने में जारीकर्ता संस्थान के किसी पदाधिकारी/कर्मि की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. नियोजन के बाद शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मानदेय के रूप में दी गयी राशि की वसूली की जायेगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
6. **परिवीक्षा अवधि:-** मानदेय आधारित उपरोक्त सभी संविदा आधारित पदों पर प्रारंभ में 01 वर्ष प्रोवेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोवेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरान्त सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।
7. **चयन प्रक्रिया:-**

- I. **क्रम संख्या-01 से 03** के पद पर निर्धारित योग्यता एवं न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अर्थाई का चयन निर्धारित न्यूनतम तकनीकी योग्यता में प्रस्तांक के प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक तथा साक्षात्कार के लिये अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अर्थाई द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित गणना, विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी अर्थाई पर विचार नहीं किया जाएगा।
- II. **क्रम संख्या 04 से 06** तक के पद पर नियोजन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। जिसके लिए अधिकतम 40 अंक निर्धारित है। **क्रम संख्या 04** के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना सम्मिलित नहीं किया जायेगा। **क्रम संख्या 05 एवं 06** के पदों के लिए कार्य अनुभव की शर्त अनिवार्य नहीं है।
- III. **क्रम सं० 01 से 03** के पदों के लिए प्रारंभिक मेधासूची 60 अंकों की बनायी जायेगी। जिसमें न्यूनतम तकनीकी योग्यता के प्रतिशत प्रस्तांक का 50 प्रतिशत अंक तथा 10 (5+5) अंक न्यूनतम तकनीकी योग्यता से उसी विशय में अधिकतम 02 उच्चतर डिग्री हेतु दिए जायेंगे। उक्त प्रारंभिक मेधा सूची से 10 गुणा अर्थाई को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु 40 अंक निर्धारित है। अंतिम मेधा सूची तकनीकी योग्यता एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर 100 अंकों के आधार पर की जायेगी।
- IV. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
- V. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अर्थाई को वरीयता दी जायेगी।
- VI. इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- VII. **अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना 01.04.2026 के आधार पर किया जायेगा।**
- VIII. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखरेख संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मि जो विज्ञापित पद के विरुद्ध योग्यता रखते हैं, उन्हें आवेदन करने हेतु उक्त संस्थानों में उनके नियोजन के उपरान्त किये गये कार्य अवधि की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। उम्र छूट का यह लाभ सिर्फ उसी पद पर नियोजन के विरुद्ध दिया जायेगा जिस पद पर पूर्व नियोजन के दौरान कार्य किया गया है। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

8. **नियोजन की शर्त:-**
 - मानदेय के आधार पर चयनित कर्मि न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 - मान्य वैधानिक कारणों से चयनित कर्मियों का नियोजन समाप्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, जमुई के पास होगा।
9. **चयनित कर्मियों को संस्थान में नियमानुसार आवासन अनिवार्य होगा।**
 - साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।

9. **नियोजन की अवधि :-**
 - मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे, जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - पदों के लिए अर्हाता एवं मानदेय वही होगा जो मिशन वात्सल्य के अनुदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
 - केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद में आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।
 - जिला स्तर से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।
 - चयनित कर्मि की प्रतिनियुक्ति एवं स्थानान्तरण वृहद आश्रय गृह (बालगृह यूनिट-1 एवं बालगृह, यूनिट-2) में करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा।
 - ऐसे अर्थाई जिन्हें पूर्व में बाल संरक्षण अथवा अन्य प्रक्षेत्रों से आरोप सिद्ध होने के उपरान्त कार्यमुक्त किया गया हो वे इस विज्ञापन के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
10. विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन फार्म जिले के अधिकारिक वेबसाइट <https://jamui.nic.in> पर देखा जा सकता है। साथ ही साक्षात्कार में भाग लेने हेतु स्वीकृत अर्थाई, प्रारंभिक मेधा सूची एवं अंतिम मेधा सूची आदि का प्रकाशन समय-समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

सहायक निदेशक